संख्या-45/2017/639/52-3-2015-सा(8)/2012 टी.सी.

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□:दिनांक 20 मार्च, 2015

विषयः-प्रथम चरण में 75 मदरसों में से मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों से आच्छादित 06 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या-1703/□0□0□□0□□0/□□□□ /2013-14, दिनांक 19.8.2014 एवं पत्रांक-2557/□0□0□□0□□0/□□0□□0- 75/2013-14 दिनांक 16.10.2014 □□ संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-2071(□□□□)/2011 कमेटी आफ मैनेजमेंट मदरसा अहले सुन्नत नूरूल उलूम अतीकिया महराजगंज बाजार तराई, □□□□□□ □□□ अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.1.2014, रिट याचिका संख्या-34892/2004 मदरसा नूरूल इस्लाम अन्जुमन डेहराकला सैदपुर, गाजीपुर एवं मदरसा दारूल उलूम कादरिया नूरियां बघाड़ू, सोनभद्र बनाम राज्य सरकार व अन्य में □□0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.2.2013, रिट याचिका संख्या-9681/2010 प्रबन्ध समिति मदरसा एहसानुल उलूम शेखपुर कमालगंज, फर्रूखाबाद व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.4.2014, रिट याचिका संख्या-36349/2014 प्रबन्ध समिति मदरसा जामिया नूरूल उलूम मुबारकपुर, आजमगढ़ बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.4.2014 एवं रिट याचिका संख्या-2088 (□□□□)/2010 प्रबन्ध समिति, □□□□□ इस्लामिया गौसिया नईमिया चूहापीर सौराई बुजुर्ग कड़ा, कौशाम्बी बनाम राज्य सरकार व अन्य में □□0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.2013 □□ अनुपालन में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित मदरसों को अनुदान सूची लिये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0□□	□□□□□□□ □□□
1	मदरसा अहले सुन्नत नूरूल उलूम अतीकिया महराजगंज बाजार तराई बलरामपुर
2	मदरसा नूरूल इस्लाम डेहराकला सैदपुर, □□□□□□
3	मदरसा दारूल उलूम कादरिया नूरिया बघाड़ू सोनभद्र
4	मदरसा अहसनुल उलूम शेखपुर कमालगंज फर्रूखाबाद
5	□□□□□ □□□□□ नूरूल उलूम मुबारकपुर आजमगढ़

1- **यह शासनादेश** इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- अनुदानित किये जाने वाले उक्त मदरसों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान सूची पर लिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

1. □□□□□, शिक्षा संहिता के नियमों का पालन करेगा।
2. □□□□□, शिक्षा संहिता के अनुदान से संबंधित सभी शर्तों का □□□□ □□□□□
3. मदरसा शासन के उन सभी आदेशों का पालन करेगा, □□ शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की □□□ □□□□□□ में समय≤ पर निर्गत किये गये हों।
4. मदरसे में मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली-1987 □□□ □□□□□□-1998, 2000 □□□ 2004 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्ति हों।
5. मदरसे द्वारा मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली-1987 में प्राविधानित नियम-22□□□ अन्य सुसंगत नियमों/प्रविधानों तथा शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए नियमानुसार अर्ह/पात्र शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी, तथा चतुर्थ श्रेणी के□□□ □□ □□□□ आउटसोर्सिंग से भरा जायेगा।
6. प्रदेश के गैर अनुदानित अरबी तथा फारसी मदरसों का अनुदान सू□□ □□ □□□□□□□□□□□ मानक एवं शर्तों के निर्धारण के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-2853/52-3-2014-□□(8)/2012 दिनांक 27 फरवरी, 2015 □□ पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. अनुदानित किये जाने वाले उपर्युक्त मदरसों को वित्तीय लाभ वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रभावी होगी।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संवितरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मदरसों द्वारा उल्लिखित शर्तों का पालन कर लिया गया है। स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति संबंधी सुसंगत नियमों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्वरूपेण सुनिश्चित कराया जाय। किसी भी प्रकार के विचलन को तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। यदि संस्थायें उक्त निर्धारित शर्तो में से किसी भी शर्त की पूर्ति नहीं करती है, तो उसे स्वीकृत धनराशि का भुगतान न किया जाय और उसकी सूचना तुरन्त शासन को दी जाय। मानक के अनुसार एंव नियुक्ति के प्राविधानों के अनुरूप उपरोक्त मदरसे के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों पर अनुमोदन प्रदान किया जाय। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाय कि नियुक्तियों का अनुमोदन नियमानुसार हो। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सुसंगत नियमों एवं प्राविधानो के विपरीत हुए अवैध एवं अनियमित नियुक्तियों को अनुमोदित न किया जाय। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही को शासन गम्भीरता से लेगा।

4- संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसे में की गयी नियुक्तियों के संबंध में मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली 1987 □□□ □□□□□□ 2000 एवं इस संबंध में □□□≤ पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों तथा नियमों का पालन सुनिश्चित कराते हुए वेतन भुगतान किया जायेगा, इसमें किसी भी प्रकार के विचलन के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त मद पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01 प्रारम्भिक शिक्षा-

---

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

800-अन्य व्यय-11-146 नये आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को □□□□-31-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□□) से वहन किया जायेगा।

6- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-367/दस-2015 दिनांक 20 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्री प्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-639(1)/52-3-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. □□□□□□□□, □0प्र0 □□□□□□□□
2. रजिस्ट्रार/निरीक्षक, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, उ0प्र0□
3. मुख्य कोषाधिकारी, ज□□□ □□□, □□□□/वरिष्ठकोषाधिकारी/कोषाधिकारी अ□□□□□
4. वित्त एंव लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□
5. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अ□□□-11, वित्त (□□-व्ययक) □□□□-1/2, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, □□□□□ □□□□-4,शिक्षा अ□□□-5
6. □□□, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 □□□□
7. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एंव शिक्षा निदेशक (बे□□)□
8. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलर□□□, □□□□, सोनभद्र, फर्रूखाबाद, आजमगढ़ एवं कौशाम्बी।
9. समस्त संबंधित मदरसों के प्रबन्धक को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा।
10. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, □□0 उच्च न्यायालय, □□□□□□/□□□□ □□ उपरोक्तानुसार प्रश्नगत रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय-स□□ पर पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in